

झारखंड सरकार  
वन एवं पर्यावरण विभाग

स्वी० संख्या-4/यो० बजट-52/2015 13/स्वी० व०प०, राँची, दि०- 24.6.2015

प्रेषक,

ए० के० रस्तोगी,  
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),  
पो०-डोरण्डा,  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 में "इको-टूरिज्म" (अन्य व्यय) के अंतर्गत राज्य के विभिन्न स्थलों, जैसे बेटला, पारसनाथ, त्रिकुट, दलमा, तिलैया, नेतरहाट, फॉसिल पार्क इत्यादि में इको-टूरिज्म के विकास कार्य एवं इस हेतु परामर्शी सेवाओं के लिए कुल 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक-300 दिनांक-30.03.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रसंगाधीन वित्त विभागीय पत्र के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनांतर्गत "इको-टूरिज्म" (अन्य व्यय) के अन्तर्गत कुल 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये मात्र की राशि का बजट उपबंध संसूचित है।

2. इको-टूरिज्म का विकास वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए नई योजना है। राज्य के वनों एवं संरक्षित क्षेत्रों यथा राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यप्राणी आश्रयणियों में अवस्थित प्राकृतिक सौन्दर्य स्थलों के मददेनजर राज्य में इको-टूरिज्म की अपार सम्भावनाएँ हैं। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु चयनित स्थलों पर आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है। इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने से राज्य में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से स्थानीय निवासियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित होंगे, साथ ही साथ राज्य सरकार को आर्थिक विकास के लिए संसाधन राजस्व के रूप में प्राप्त होंगे। इसके अलावा इन स्थलों के विकास हेतु परामर्शी सेवाओं की आवश्यकता है ताकि आधुनिक आवश्यकता एवं पद्धतियों को मद्देनजर रखते हुए राज्य में इको-टूरिज्म को विकसित किया जा सके।

3. उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 में "इको-टूरिज्म" योजना के अंतर्गत कुल 700.00 लाख (सात करोड़) रुपये मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है जिसके आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक के द्वारा राज्य के विभिन्न इको-टूरिज्म

राशियों के विवरण हेतु परामर्शियों के माध्यम से विवरण प्रतियोगिता (Detailed Project Report) तैयार करवाकर सज्जन स्तर से प्रस्तावित एवं प्रस्तावित स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत नियमानुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यान्वयन कराया जायेगा।

4. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध लघुशीर्ष/इकाईवार राशि की मदवार विवरणी निम्नवत् है :-

शीर्ष का नाम	इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध (लाख में)	स्वीकृत राशि (लाख में)
मुख्य शीर्ष-2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण, उप शीर्ष-46-इको-टूरिज्म	मजदूरी	19P24060101460103	420.000	420.000
	आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101460323	280.000	280.000
कुल स्वीकृत राशि- (सात करोड़) रुपये			700.000	700.000

5. उक्त स्वीकृत राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची होंगे जिनके द्वारा राशि की एक मुश्त निकासी संबंधित कोषागार से कोषागार संहिता के नियम - 300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक करते हुए विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु झारखण्ड इको-टूरिज्म प्राधिकार को उपलब्ध करायी जाएगी जिसके द्वारा इन योजनाओं का निर्धारित समय-सीमा के भीतर नियमानुसार कार्यान्वयन कराया जाएगा।

6. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या-301, दिनांक-11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनान्तर्गत राशि का उप आवंटन बजट उपबंध में स्वीकृत राशि के अंतर्गत ही सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिरीमा से कम नहीं हो।

9. किये गये कार्यों का ऑकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जाय।

hmv

19/स्वी०  
24.6.2015

h q d

10. मजदूरी का अनुपात वन संरक्षण एवं प्ररिक्षण विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

11. योजना का कार्यान्वयन वन संरक्षण अधिनियम प्रावधानों का अनुपालन करते हुए अथवा वन कार्य नियोजना के अन्तर्गत Eco-Tourism Working Circle में प्रस्तावित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। यदि वन अधिनियम के सभी सुसंगत धाराओं/प्रावधानों के प्रतिकूल कार्य सम्पादित किया जाना आवश्यक हो तो भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात ही राशि का व्यय/योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाएगा।

12. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

13. झारखण्ड इको-टूरिज्म प्राधिकार के द्वारा वन एवं पर्यावरण के संकल्प ज्ञापांक-3916, दिनांक-23.09.2012 के आलोक में 50 लाख रुपये तक की अधिसीमा के अंतर्गत विभागीय रूप से कार्य कराये जा सकेंगे इससे अधिक लागत की योजनाओं का कार्यान्वयन खुली निविदा अथवा राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में नियमानुसार कराया जाएगा।

14. झारखण्ड इको-टूरिज्म प्राधिकार द्वारा कराये जा रहे कार्यों का मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं वन एवं पर्यावरण विभाग को नियमित रूप से प्रत्येक माह की 5वीं तारीख तक समर्पित किया जाएगा।

15. स्वीकृत योजना के सफल कार्यान्वयन तथा ससमय उपयोगिता प्रमाण पत्र सरकार को समर्पित करने का उत्तरदायित्व झारखण्ड इको-टूरिज्म प्राधिकार का होगा।

16. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराया सुनिश्चित किया जायेगा।

17. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

18. प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन तथा आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(ए० के० रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।


NK

19/द्वी०

24.6.2015

झापांक -4/यो0 बजट-52/2015 13/स्वी० व0प0/राँची, दिनांक- 24.6.2015


प्रतिलिपि :- राज्यपाल सचिवालय, झारखंड, राँची / विकास आयुक्त, झारखंड, राँची / योजना एवं विकास विभाग, झारखंड, राँची / वित्त विभाग, झारखंड, राँची / सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड, राँची / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, राँची / अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखंड, राँची / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / आंतरिक वित्त कोषांग एवं विभागीय बजट शाखा तथा अवर सचिव-सह-नोडल पदाधिकारी, वन एवं पर्यावरण विभाग(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निमित्त) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(ए0 के0 रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

झापांक -4/यो0 बजट-52/2015 13/स्वी० व0प0/राँची, दिनांक- 24.6.2015

प्रतिलिपि :- संबंधित उपायुक्त/कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(ए0 के0 रस्तोगी)

सरकार के विशेष सचिव।

म/न

9